भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-961

उत्तर दिनांक 13/02/2025 को दिया गया

भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना

961. श्री मिलिंद मुरली देवरा

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने दाबित भारी जल रिएक्टर प्रौद्योगिकी पर आधारित भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना के लिए योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) दाबित भारी जल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कैप्टिव परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की संस्थापना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए जाने की योजना है;

(ग) ऐसे लघु रिएक्टरों के लिए सुरक्षा और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने भारत लघु रिएक्टर प्रौद्योगिकी के विकास से हमारे देश को मिलने वाले संभावित कार्बन क्रेडिट पर कोई अध्ययन किया है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) व (ख) हां। सरकार ने भारत लघु रिएक्टरों (बीएसआर) को स्थापित करने की स्वीकृति दी है, जो कि साबित 220 मेगावाट दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) का उन्नत संस्करण है। इसे एक अनुमोदित व्यवसाय मॉडल के तहत निजी पूंजी निवेश के साथ स्थापित किया जाएगा ताकि उन उद्योगों की बड़ी विकार्बनीकरण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जिन्हें विकार्बनीकरण करना कठिन है।

अनुमोदित व्यवसाय मॉडल के अनुरूप उद्योगों से प्रस्ताव आमंत्रित करने वाला अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) दिसंबर, 2024 में जारी किया गया है।

(ग) व (घ) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) का गठन परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 16, 17 और 23 के तहत निर्धारित किए गए कुछ नियामक और संरक्षा कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए एक वैधानिक आदेश (एस.ओ. 4772) द्वारा किया गया है। एईआरबी का नियामक ढांचा डीएई और गैर-डीएई संस्थापनाओं द्वारा सभी चरणों के दौरान संरक्षा संहिताओं और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

भारत में सभी प्रकार/डिजाइन वाले नाभिकीय विद्युत संयंत्र (एनपीपी) एईआरबी की नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए अभिकल्पित, निर्मित, कमीशनन और प्रचालित किए जाते हैं। समान नियामक ढांचे का प्रयोग लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के लिए भी किया जा सकता है।

*****